रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 1974/कार्तिक 15, 1896
No. 279] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBR 6, 1974/KARTIKA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Cent... ariat Libr...

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi the 6th November 1974

G.S.R. 453(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Act, apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Madras.

2. **Definitions.**—Unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) words and expressions used in these rules shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Frequency of meetings.**—(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, date and time of its meetings.

4. **Calling of special meetings.**—The Chairman, or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

5. **Circulation of agenda papers.**—The papers connected with the agenda relating to any meeting of the Board, except a special meeting, shall be circulated to the Trustees at least three days before the date of the meeting. In the case of a special meeting such papers shall be circulated at least one day before the date of the meeting.

6. **Discussion of items not included in the Agenda.**—The Chairman, or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, at his discretion, may include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his opinion, of sufficient importance and urgency and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

7. **Poll.**—If a poll is demanded, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

8. **Minutes of the meeting.**—Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meetings. The names of the Trustees present at each meeting shall also be recorded in the book. This book shall be open to inspection by any Trustee during office hours and the said minutes excepting such portion thereof as the Chairman or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours on payment of such fee for each inspection as may be fixed by the Board from time to time.

9. **Adjournment of meetings.**—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later date which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[No. F. PGL-14/74]

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 453 (अ).—कतिपय विषयों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्ररूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास-पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1974 है ।

(2) अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये मद्रास-पत्तन के न्यासी बोर्ड के अधिवेशनों में किए गए कारबार को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ।

(ख) इन नियमों में जो शब्द और पद प्रयुक्त किए गए हैं उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. अधिवेशन की आवृत्ति :

(1) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगा ।

(2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशनों का स्थान, तारीख, और समय अवधारित करेगा ।

4. विशेष अधिवेशनों का बुलाया जाना :

अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, जब कभी वह आवश्यक समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कमतीन न्यासियों के लिखित अनुरोध पर वह ऐसा करेगा ।

5. कार्यसूची कागज पत्रों का परिचालन :

विशेष अधिवेशनों के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन की बाबत कार्यसूची से सम्बन्धित कागजपत्र अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किए जाएंगे । विशेष अधिवेशन की दशा में ऐसे कागजपत्र अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए जाएंगे ।

6. उन मदों पर विचार-विमर्श जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं :

अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविवेकानुसार बोर्ड के अधिवेशनों में से, जिसमें विशेष अधिवेशन भी सम्मिलित है, किसी भी अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची में सम्मिलित नहीं की गई किसी मद को उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा जब कि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की और अति आवश्यक है और उसे किसी पश्चात्वर्ती अधिवेशन में विचारार्थ नहीं रखा जा सकता है ।

7. मतदान :

यदि मतदान की मांग की जाती है, तो मत देने वाले न्यासियों के नाम तथा उनके मतों की प्रकृति अधिवेशन के सभापति द्वारा अभिलिखित की जाएगी ।

8. अधिवेशन के कार्यवृत्त :

बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए की जानी है और उन पर, यथासाध्यशीघ्रता

से, ऐसे अधिवेशनों के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम भी पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे। यह पुस्तक कार्यालय समय के दौरान किसी भी न्यासी के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी और उक्त कार्यवृत्त, उसके ऐसे भाग को छोड़ कर जिस के लिए अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विशिष्ट मामले में निदेश दे, प्रत्येक निरीक्षण के लिए ऐसी फीस के, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, संदाय पर कार्यालय समय के दौरान बोर्ड के कार्यालय में जनता के निरीक्षण के लिए भी खुले रहेंगे।

9. अधिवेशनों का स्थगन :

अधिवेशन का सभापति, उसकी सम्मति से अधिवेशन में ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को स्थगित कर सकेगा, जिसके बारे में या तो अधिवेशन में आख्यापित किया जाएगा अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को संसूचित किया जाएगा।

[सं० फा० पी० जी० एल०-14/74)]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974